संख्या-37/2023/पी-297/001-38-9099 99 29 2023

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2023**

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत जनपद-औरैया, आजमगढ़, बाराबंकी, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, कुशीनगर, लखनऊ, संत कबीर नगर, सीतापुर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर के पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3752 /टी-251(1)/यूपीआरआरडीए/2023-24, दिनांक-02.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद-औरैया, आजमगढ़, बाराबंकी, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, कुशीनगर, लखनऊ, संत कबीर नगर, सीतापुर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर में पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत एफ0डी0आर0 तकनीक से निर्माणाधीन कतिपय पैकेजों/मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0 सं0	जनपद	विषय	धनराशि
1	औरैया	जनपद-औरैया के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	5,02,546.00
2	आजमगढ़	जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	85,63,600.00
3	बाराबंकी	जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	22,09,740.00
4	देवरिया	जनपद-देवरिया के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	23,65,375.00
5	फतेहपुर	जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में	3,76,789.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	
6	फिरोजाबाद	जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	22,25,630.00
7	कुशीनगर	जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	2,40,900.00
8	लखनऊ	जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	1,75,65,133.00
9	संत कबीर नगर	जनपद-संत कबीर नगर के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	25,23,390.00
10	सीतापुर	जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	18,559.00
11	सोनभद्र	जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	1,72,7,080.00
12	सुल्तानपुर	जनपद-सुल्तानपुर के अन्तर्गत विभिन्न पैकेजों के मार्गों के निर्माण में बाधक वृक्षों के पातन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	1,90,541.00
		योग-	**3,85,09,283.00**

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।।। के अंतर्गत कतिपय जनपदों में निर्माणाधीन मार्गों पर आने वाले वृक्षों के पातन हेतु कुल रू0 3,85,09,283.00 (रूपये तीन करोड़ पच्चासी लाख नौ हजार दौ सौ तिरासी मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ इस बात का ध्यान रखेंगे कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे संबधित विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,85,09,283 (रुपये तीन करोड़ पचासी लाख नौ हजार दो सौ तिरासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 5054043378901 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0 **ई-2-117-X-2023-24, दिनांक: 25-8-2023** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

संख्या-37/2023/पी-296/002-38-9099 99 9 2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7- श्री राजेन्द्र राम (नोडल अधिकारी), उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।

8- ग्राम्य विकास अनुभाग-03, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

http:..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।